

तृतीय झारखण्ड विधानसभा का दशम् सत्र (शीतकालीन)

सत्र-विवरणिका

1. सत्र का आह्वान एवं सभा की बैठकें

झारखण्ड विधानसभा के दशम् सत्र (शीतकालीन) का आह्वान दिनांक - 14.11.2012 को हुआ जिसमें दिनांक - 30 नवम्बर, 03 दिसम्बर, 04 दिसम्बर, 05 दिसम्बर एवं 06 दिसम्बर, 2012 को सभा की कुल 05 बैठकें हुईं ।

2. सत्र का आरम्भ

झारखण्ड विधानसभा का दशम् सत्र (शीतकालीन) का आरम्भ दिनांक - 30.11.2012 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ ।

3. सभापति का मनोनयन

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत दशम् सत्र (शीतकालीन) के लिए माननीय सदस्य - (1) श्री साईमन मरांडी, स०वि०स० (2) श्री फूलचन्द मण्डल, स०वि०स० (3) श्री रघुवर दास, स०वि०स० (4) श्री सरफराज अहमद, स०वि०स० एवं (5) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स०वि०स० सभा के सभापति मनोनीत किये गये ।

4. समितियों का गठन

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत दशम् सत्र के लिए गठित कार्यमंत्रणा समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य नामित किये गये -

(1) श्री अर्जुन मुण्डा, मुख्यमंत्री (2) श्री सुदेश कुमार महतो, उप-मुख्यमंत्री (3) श्री हेमन्त सोरेन, उप-मुख्यमंत्री (4) श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्यमंत्री (5) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, नेता प्रतिपक्ष (6) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० एवं (7) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स०वि०स० ।

विशेष आमंत्रित सदस्य

(1) श्री सरफराज अहमद, स०वि०स० (2) श्री रघुवर दास, स०वि०स० (3) श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स० (4) श्री रामचन्द्र बैठा, स०वि०स० (5) श्री अरविन्द कुमार सिंह, स०वि०स० (6) श्री बंधु तिकी, स०वि०स० (7) श्रीमती सुधा चौधरी, स०वि०स० (8) श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० (9) श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० एवं (10) श्री अरुण चटर्जी, स०वि०स० ।

5. **अनुमत विधेयक**

सभा के गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्नांकित विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई -

क्र० सं०	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक - 2012	14.09.2012	17/2012

6. **प्रश्नकाल**

इस दशम सत्र में 102 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें सभा में कुल 02 प्रश्न उत्तरित तथा 100 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल 176 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें कुल 05 प्रश्न उत्तरित तथा 171 प्रश्न अनागत हुए ।

271 अनागत प्रश्नों में 244 प्रश्नों के लिखित उत्तर प्राप्त हुए।

7. **शून्यकाल**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 28 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गईं मानी गईं ।

8. **ध्यानाकर्षण सूचना**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ स्वीकृत की गईं जिनमें सरकार द्वारा कुल 02 ध्यानाकर्षण सूचनाओं का वक्तव्य दिया गया । शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु सौंपा गया ।

9. **सभा मेज पर कागजात रखा जाना**

दिनांक - 30.11.2012 को श्री मथुरा प्रसाद महतो, प्रभारी मंत्री द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के तहत कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ए0टी0आर0) सभा पटल पर रखा गया ।

दिनांक - 03.12.2012 को माननीय वित्त मंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा "भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151(2) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन - वित्त लेखे 2011-2012 एवं विनियोग लेखे - 2011-2012 को सदन पटल पर रखा गया जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

दिनांक – 04.12.2012 को श्री वैद्यनाथ राम, प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय संविधान की धारा- 323(2) के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से प्राप्त वर्ष – 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक – 04.12.2012 को झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 304(6) के तहत सभा सचिव द्वारा शून्यकाल की सूचनाओं पर संकलित उत्तरों की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

दिनांक – 06.12.2012 को श्री वैद्यनाथ राम, प्रभारी मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम – 2001 की धारा- 12(6) एवं (7) के अधीन झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त वर्ष – 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक – 06.12.2012 को श्री गोपाल कृष्ण पातर, प्रभारी मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा झारखण्ड शराब (देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं वाईन सहित) थोक बिक्री नियमावली, 2012 एवं भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोटलबंद) के झारखण्ड राज्य में आयात वितरणकर्ता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

10. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

दिनांक – 04.12.2012 को झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सभापति द्वारा सरकारी आश्वासन समिति का 19वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

दिनांक – 06.12.2012 को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सभापति द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का 27वाँ प्रतिवेदन सदन पटल रखा गया ।

दिनांक – 06.12.2012 को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत सभापति द्वारा निवेदन समिति का एकादश, द्वादश एवं त्रयोदश प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

11. निवेदन

इस सत्र में कुल प्राप्त – 21 निवेदनों को नियम 263(1) के तहत विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई ।

12. वित्तीय कार्य

दिनांक – 30.11.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट सभा में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक – 03.12.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से संबंधित मांग सभा में पेश की गई । श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0, श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0, श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, स0वि0स0 एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स0वि0स0 द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तत्पश्चात् मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से संबंधित मांग सभा द्वारा स्वीकृत की गई । अनुपूरक व्यय विवरण से संबंधित शेष सभी मांगें गिलोटीन (मुखबंद) द्वारा स्वीकृत की गई ।

13. विधायी कार्य

क्र0सं 0	विधेयक का नाम	मंत्री प्रभारी	सभा द्वारा पारित होने की तिथि
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012	श्री हेमन्त सोरेन	03.12.2012
2.	झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012	श्री वैद्यनाथ राम	04.12.2012
3.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	श्री वैद्यनाथ राम	06.12.2012
4.	उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक 2012	श्री वैद्यनाथ राम	06.12.2012

14. गैर सरकारी संकल्प

दिनांक – 06.12.2012 को कुल 18 गैर सरकारी संकल्प लिए गये ।

15. शोक प्रकाश

दिनांक – 30 नवम्बर, 2012 को विगत सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों, कलाकारों यथा – स्व0 कैलाशपति मिश्र, स्व0 नवल किशोर शर्मा, स्व0 केदार नाथ साहनी, स्व0 के0 सी0 पंत, स्व0 बाल ठाकरे, स्व0 के0एस0 सुदर्शन, स्व0 काशीराम राणा, स्व0 वर्गीज कुरियन, स्व0 येरेन नायडू, स्व0 अनकुरा हो दोराय बुरू, स्व0 रामसेवक हजारी, स्व0 प्रेमलता राय, स्व0 आदित्य सिंह, स्व0 यश चोपड़ा, स्व0 यश चोपड़ा, स्व0 जसपाल भट्टी एवं देवघर सत्संग हादसा, पटना में महापर्व छठ के दौरान हुए हादसे, गिरिडीह में कैदी वाहन पर हुए हमले में मारे गये लोगों, पुलिसकर्मियों सहित बिहार राज्य के पूर्णिया में भूमि विवाद के चलते मारे गये तीन आदिवासियों के प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया ।

दिनांक – 03.12.2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल एवं लातेहार के पूर्व सदस्य विजय वीरेन्द्र कुमार के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गयी तथा दो मिनट का मौन रखा गया ।

16. सभा का स्थगन

दिनांक	कार्यवाही की अवधि	अन्तराल	स्थगन की अवधि
30.11.2012	11.00 बजे पूर्वा० – 11.50 बजे पूर्वा० तक ।	–	–
03.12.2012	11.00 बजे पूर्वा० – 11.10 पूर्वा० तक ।	12.50 बजे अप० – 02.05 बजे अप०	50
	12.00 बजे मध्या० – 12.10 बजे अप० तक ।		35
	12.45 बजे अप० – 12.50 बजे अप० तक ।		–
	02.05 बजे अप० – 02.10 बजे अप० तक ।		50
	03.00 बजे अप० – 03.40 बजे अप० तक ।		–
04.12.2012	11.00 बजे पूर्वा० – 11.05 बजे पू० तक ।	01.00 बजे अप० – 02.10 बजे अप०	55
	12.00 बजे मध्या० – 01.00 बजे अप० तक ।		–
	02.10 बजे अप० – 03.15 बजे अप० तक ।		–
05.12.2012	11.00 बजे पूर्वा० – 11.01 बजे पूर्वा० तक ।	12.21 बजे अप० – 03.50 बजे अप०	79
	12.20 बजे अप० – 12.21 बजे अप० तक ।		–
	03.50 बजे अप० – 04.05 बजे अप० तक ।		–
06.12.2012	11.05 बजे पूर्वा० – 11.06 बजे पू० तक ।	11.06 बजे पू० – 02.10 बजे अप०	3.45 बजे अप० में अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित
	02.10 बजे अप० – 03.45 बजे अप० तक ।		

दिनांक 05.12.2012 को 11.01 बजे पूर्व0 से 12.20 बजे अप0 तक, 12.21 बजे अप0 से 02.00 अप0 तक एवं 02.00 बजे अप0 से 03.50 बजे अप0 तक सभा की कार्यवाही कोरम के अभाव में स्थगित की गई ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक 06.12.2012 को अप0 3.45 बजे सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई ।
